

पटना उच्च न्यायालय में

शंभूनाथ सिंह एवं अन्य

बनाम

जवाहर सिंह एवं अन्य

1982 का प्रथम अपील सं.325

29 मार्च 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

विचार के लिए मुद्दा

क्या प्रतिवादी के पक्ष में प्रोबेट प्रदान किए जाने के विरुद्ध वादी द्वारा दायर निरसन वाद को उचित रूप से खारिज किया गया?

हेडनोट्स

वसीयत और प्रोबेट - भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 - धारा 263, 299 - वादी द्वारा दायर निरसन वाद को खारिज करने और प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में प्रोबेट प्रदान करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के निर्णय के विरुद्ध अपील। - अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क कि उचित समन की तामील नहीं की गई और विचाराधीन वसीयत जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज है।

निर्णय: एक विवेकशील व्यक्ति के रूप में वादी को प्रोबेट मामले के अभिलेखों का अध्ययन करना चाहिए था और केवल यह कहकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए था कि प्रोबेट धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था - विचाराधीन वसीयत एक पंजीकृत दस्तावेज है, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 85 के तहत अधिनियम की वैधता की एक धारणा होगी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (ई) के साथ पढ़ें - सर्वेक्षण अधिकारियों के समक्ष वसीयत का प्रस्तुत न किया जाना इस बात का कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि जिस तारीख को इसे निष्पादित किया गया था, उस दिन यह अस्तित्व में नहीं थी - विवादित

निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है - अपील खारिज की जाती है। (अनुच्छेद - 17-20)

न्याय दृष्टान्त

XXX

अधिनियमों की सूची

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925; भारतीय साक्ष्य अधिनियम

मुख्य शब्दों की सूची

वसीयत और प्रोबेट - प्रोबेट का निरसन - उचित उद्धरण - वसीयतनामा क्षमता - सहदायिक संपत्ति - जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज़ - साक्षी प्रमाणित करना - पंजीकृत दस्तावेज़ - वैध निष्पादन की धारणा - साझा किरायेदार - संयुक्त कब्ज़ा।

प्रकरण से उत्पन्न

विद्वान जिला न्यायाधीश, सारण, छपरा द्वारा निरसन वाद संख्या 10/1979 में दिनांक 17 अप्रैल, 1982 को पारित निर्णय।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री बिनोद कुमार सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से: श्री नागेंद्र राय, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

1982 का प्रथम अपील सं.325

=====

- 1.1. शंभूनाथ सिंह पिता स्वर्गीय रामसेवक सिंह गाँव-थहारन चंद, डाकघर -मकेर , थाना - परसा, जिला-सारण।
- 1.2. त्रिभुवन नाथ सिंह पिता स्वर्गीय रामसेवक सिंह गाँव-थहारन चंद, डाकघर -मकेर, थाना -परसा, जिला-सारण।
- 1.3. सुनैना कुर पिता स्वर्गीय रामसेवक सिंह, पति -एस. एन. सिंह विले।- सुनईवाली, डाकघर -पुनईवाली, थाना -कडवा, जिला -कटिहार।
- 1.4. मुन्नी देवी पति आर. यू. सिंह, पिता स्वर्गीय रामसेवक सिंह गाँव- बलदिहा, थाना - अमनौर, जिला।- सारण।

..... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

- 1.1. जवाहर सिंह पिता स्वर्गीय घिनोवन सिंह गाँव-थहारन चंद, डाकघर -मकेर, थाना - परसा, जिला-सारण।
- 1.2. शंकर सिंह पिता स्वर्गीय घिनोवन सिंह गाँव-थहारन चंद, डाकघर -मकेर, थाना - परसा, जिला-सारण।
2. सतेंद्र सिंह, पिता स्वर्गीय सिंगर चंद सिंह गाँव-थहारन चंद, डाकघर -मकेर, थाना - परसा, जिला-सारण।
4. सुबासो देवी, पिता स्वर्गीय सिंगर चंद सिंह गाँव-थहारन चंद, डाकघर -मकेर, थाना - परसा, जिला-सारण।
5. सुशीला देवी, पिता स्वर्गीय सिंगर चंद सिंह गाँव-थहारन चंद, डाकघर -मकेर, थाना -

परसा, जिला-सारण।

.....उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री बिनोद कुमार सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री नागेंद्र राय, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

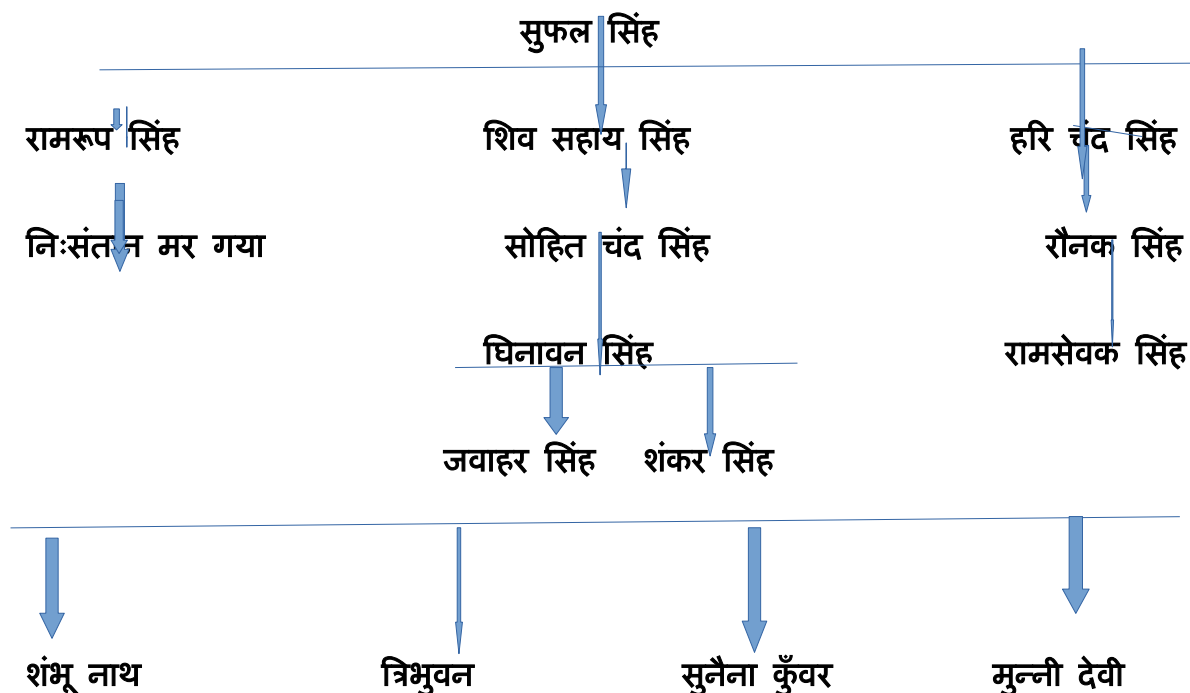
सी. ए. वी. निर्णय

तारीख:29-03-2023

यह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (जिसे आगे '1925 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 299 के अंतर्गत प्रस्तुत एक अपील है, जिसमें विद्वान जिला न्यायाधीश, सारण, छपरा द्वारा निरसन वाद संख्या 10/1979 (राम सेवक सिंह बनाम घिनवान सिंह एवं अन्य) में 17 अप्रैल, 1982 को पारित निर्णय को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, विद्वान जिला न्यायाधीश ने वादी द्वारा 1925 के अधिनियम की धारा 263 के तहत दायर आवेदन से उत्पन्न मुकदमे को खारिज कर दिया है और इस प्रकार सारण के जिला न्यायाधीश द्वारा 28.08.1928 को प्रोबेट केस संख्या 110/1926 में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के पक्ष में प्रोबेट प्रदान करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

2. पक्षकारों के बीच विवाद को समझने के लिए पक्षकारों की वंशावली को

निम्नानुसार बताना प्रासंगिक होगा:



3. मामले के तथ्यों से पता चलता है कि रामरूप सिंह की पत्नी उनसे पहले ही मर चुकी थी। रामरूप सिंह की निःसंतान मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन्होंने वर्ष 1916 में अपने एक भतीजे सोहितचंद सिंह के पक्ष में एक वसीयत को निष्पादित किया था जिसे विधिवत 25.05.1916 को पंजीकृत किया गया था।

4. सोहितचंद सिंह ने 1926 के प्रोबेट मामले को जन्म देते हुए विद्वान जिला न्यायाधीश, छपरा की अदालत में एक प्रोबेट मामला दायर किया, जिसमें सारण के विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा 28.08.1928 को प्रोबेट दिया गया था।

5. निरस्तीकरण के वादी रामसेवक सिंह वाद संख्या 10, 1979 में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सोहितचंद सिंह के पक्ष में दी गई प्रोबेट को निरस्त करने के लिए 1925 के अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत आवेदन दायर किया। विवादित फैसले से,

विद्वान जिला न्यायाधीश, सारण, छपरा ने यह अभिनिर्धारित करते हुए रद्द करने के मामले को खारिज कर दिया है कि वादी अपने इस तर्क का समर्थन करने के लिए कोई सबूत लाने में सक्षम नहीं था कि जांच रौनक सिंह या अदालत के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई थी। यह भी माना गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि गलत उद्धरण दिए गए थे या प्रोबेट प्रदान करने के मामले में रुचि रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को समन और नोटिस नहीं दिए गए थे। इसके अलावा इस बात का कोई सबूत नहीं था कि प्रोबेट मामले की कार्यवाही दोषपूर्ण थी।

अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुतियाँ

6. अपीलार्थी स्वर्गीय राम सेवक सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी हैं जो मूल आवेदक-अपीलार्थी थे। राम सेवक सिंह की मृत्यु इस न्यायालय में वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान हुई थी, इसलिए उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित किया गया है।

7. अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री विनोद कुमार सिंह ने निम्नलिखित दो आधारों पर विवादित फैसले पर हमला किया है:-

(i) मूल वादी-अपीलकर्ता के पिता रौनक सिंह, जिनकी मृत्यु वर्ष 1931 में हो गई थी, के नाम पर कोई उचित उद्धरण नहीं था यह तर्क दिया जाता है कि रौनक सिंह की मृत्यु वर्ष 1931 में हुई थी जब वादी की आयु लगभग 7 वर्ष थी। उनके अनुसार, कहा जाता है कि वसीयत वर्ष 1916 में अस्तित्व में आई थी और इसकी जांच वर्ष 1928 में की गई थी। जब वे लगभग दो वर्ष के थे, तब प्रोबेट मामला दायर किया गया था और जब वे लगभग चार वर्ष के थे, तब प्रोबेट दिया गया था। वादी के पिता और न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करके प्रोबेट प्राप्त किया गया था और प्रोबेट का एकपक्षीय आदेश प्राप्त किया गया था।

(ii) वसीयत (प्रदर्श -'बी') एक जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज है।

8. यह वादी का मामला है कि रामरूप सिंह एक अनपढ़ व्यक्ति थे और कमजोर बुद्धि वाले व्यक्ति थे इसलिए उनके पास वसीयत को निष्पादित करने की कोई वसीयतनामा क्षमता नहीं थी। अपीलार्थियों के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि साक्ष्य के क्रम में दो गवाहों अर्थात् अ.सा.-1 और अ.सा.-2 दोनों ने वादी के मामले का समर्थन किया। अ.सा.-1 राम सकल सिंह उम्र लगभग 85 वर्ष ने कहा है कि रामरूप को दोनों भाइयों शिव सहाय सिंह और हरिचंद सिंह के लिए समान प्यार और स्नेह था और वह उनमें से किसी एक के प्रति पक्षपात नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा है कि रामरूप चीजों को समझने और अपने मामलों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं था। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक गवाहों ने वादी के मामले का समर्थन किया है कि गाँव में सर्वेक्षण अभियान वर्ष 1916 या 1917 में कुछ समय के लिए किया गया था और रामरूप सिंह की संपत्तियों के संबंध में रौनक सिंह और सोहितचंद सिंह का नाम समान हिस्से में दर्ज किया गया था। इस प्रकार, उनका तर्क है कि वर्ष 1916 में जब रामरूप सिंह ने सहदायिक संपत्ति के संबंध में वसीयत निष्पादित की थी, तब संयुक्त परिवार में सहदायिकों के बीच स्थिति का कोई विभाजन और अलगाव नहीं था। अपीलार्थियों के विद्वान वकील के अनुसार, यदि सह-पक्षकारों के बीच स्थिति और अलगाव का कोई विभाजन नहीं था, तो सह-पक्षीय संपत्ति के संबंध में निष्पादित वसीयत को कानूनी और वैध नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में, उन्होंने वी कल्याणस्वामी (डी) एल. आर. एस. और अन्य बनाम एल. भक्तवत्सलम (डी) 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 584 (पैरा 127) में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया है।

9. अपीलार्थियों के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि खतियान (प्रदर्श -'1')

वर्ष 1920 में प्रकाशित किया गया था और यह दर्शाता है कि किरायेदारों को संयुक्त रूप से दर्ज किया गया था और भूमि दोनों शाखाओं के नाम पर दिखाई गई थी। उनके अनुसार, यदि यह मामला होता कि सोहितचंद सिंह के पास वसीयत होती, तो वह निश्चित रूप से इसे रिकॉर्ड में लाते और संपत्ति को संयुक्त नाम से नहीं दिखाया जा सकता था। उनका तर्क है कि विद्वान जिला न्यायाधीश वादी की ओर से रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं कर सके और उन्होंने गलत तरीके से निरस्तीकरण मामले को खारिज कर दिया। इसलिए विवादित निर्णय को रद्द किया जा सकता है।

प्रत्यर्थी की प्रस्तुतियाँ

10. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के वकील श्री नागेंद्र राय ने कहा है कि वादी यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहे हैं कि वसीयत एक जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज है। उनके अनुसार, वसीयतकर्ता ने केवल अपना एल. टी. आई. रखा था जिसे सत्यापित करने वाले गवाहों द्वारा पहचाना गया था और सत्यापन के दौरान गवाह के हाथ में रामरूप का नाम लिखा गया था। विद्वान वकील के अनुसार, इसे जालसाजी का कार्य नहीं कहा जा सकता है। विद्वान वकील ने इस न्यायालय को वसीयत (प्रदर्श - 'बी') के प्रासंगिक भाग के माध्यम से यह प्रस्तुत करने के लिए लिया है कि इसे गवाहों की उपस्थिति में विधिवत निष्पादित किया गया है। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि यह तथ्य कि वसीयत पंजीकृत दस्तावेज है, वसीयत के वैध निष्पादन की धारणा को जन्म देगा। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **प्रेम सिंह एवं अन्य बनाम बीरबल एवं अन्य (2006) 5 एससीसी 353 (पैरा 28)** मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है। निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत अनुमानों का भी उल्लेख किया गया है। चित्रण (ई) में कहा गया है कि कुछ तथ्यों के अस्तित्व की धारणा होगी और यह कि न्यायिक और आधिकारिक कार्य नियमित रूप से किए गए हैं,

अनुमानों में से एक होगा।

11. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि विभिन्न शाखाओं में स्थिति का अलगाव था और सह-भागीदारों के बीच अलगाव था जो खतियान (प्रदर्श-'1') के एक सामान्य अवलोकन पर स्पष्ट है। प्रदर्श-'1' से यह प्रतीत होता है कि रौनक सिंह के अनन्य कब्जे में कई भूखंड दर्ज किए गए थे जैसे कि भूखंड संख्या 1683, 1671 और 1607 में।

12. विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि वादी/आवेदक ने पहले 1973 का स्वत्व वाद सं. 29 दायर किया था जिसमें उत्तरदाताओं द्वारा वसीयत की जांच के बारे में विधिवत खुलासा करते हुए लिखित बयान दायर करने के बाद, आवेदक ने स्वत्व वाद के पीरवी को छोड़ दिया था और इसे अनुमति दी थी। उन्होंने फिर से 1975 का स्वत्व वाद सं.69 दायर किया और इस मामले में जब उन्हें सबूत के क्रम में एहसास हुआ कि वसीयत की जांच उनके रास्ते में आने की संभावना है, तो लगभग चार साल बाद उन्होंने प्रोबेट को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने का फैसला किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि स्वत्व वाद संख्या 69/1975 (पैराग्राफ 5 और 6) में वादी का यह तर्क है कि संयुक्त परिवार की स्थिति में विच्छेद हो गया था और सुफल सिंह के तीनों बेटों की सभी शाखाएँ सर्वेक्षण से पहले ही अलग हो गई थीं।

13. प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री राय ने तर्क दिया कि सहदायिकता को तोड़ने के लिए, मेट्स और सीमा द्वारा विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं है। सह-भागीदार अभी भी संयुक्त कब्जे में रह सकता है और आम किरायेदारों के रूप में अपनी स्थिति बनाए रख सकता है। विद्वान वकील ने मुल्लास हिंदू कानून (24 वां संस्करण) से अनुच्छेद 321 का उल्लेख किया और **वी कल्याणस्वामी** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

14. यह भी तर्क दिया गया है कि वादीगण ने निम्नलिखित विद्वान न्यायालय

में कभी भी यह तर्क नहीं दिया कि स्थिति का विच्छेदन और पृथक्करण नहीं हुआ था। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह तर्कअपील में पहली बार लिया जा रहा है, वह भी बिना किसी विशिष्ट आधार के।

15. विद्वान वकील ने आगे कहा कि प्रोबेट मामले में रौनक सिंह का हवाला न देने के संबंध में, वादी रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं ला सके। वादी ने प्रोबेट मामले के अभिलेखों को भी नहीं देखा था और साक्ष्य के क्रम में वादी ने स्वीकार किया था कि उसने प्रोबेट मामले के अभिलेख का निरीक्षण नहीं कराया था। उन्होंने नीचे दी गई विद्वान न्यायालय में अभिलेखों को बुलाने के लिए भी आवेदन नहीं किया। इन परिस्थितियों में, नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति के रूप में वादी को प्रोबेट मामले के अभिलेखों को पढ़ना चाहिए था और केवल यह कहकर खुद का तर्क नहीं देना चाहिए था कि प्रोबेट धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था।

16. विद्वान वकील अंत में प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में निरसन का मामला सीमा की अवधि समाप्त होने के बहुत बाद दायर किया गया था। वादी को प्रोबेट की जानकारी थी जो अंचल अधिकारी, परसा, सारण द्वारा पारित दिनांक 07.02.1962 के आदेश से स्पष्ट होगा, जिसके द्वारा वादी के दावे को दिनांक 28.08.1928 के प्रोबेट के आधार पर खारिज कर दिया गया था, इस प्रकार, वर्ष 1962 में वादी को प्रोबेट के बारे में पता चला था। यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि विद्वान न्यायालय ने यह माना है कि यह बहुत प्रासंगिक नहीं है क्योंकि निरसन के लिए कार्रवाई करने की कोई सीमा नहीं थी, विद्वान न्यायालय का यह दृष्टिकोण सही नहीं होगा क्योंकि इस न्यायालय ने **श्रीमती शारदा देवी बनाम संतोष कुमार सिन्हा 2006(3) पीएलजेआर 433 (पैरा 4)** में प्रतिवेदित मामले में यह माना था कि परिसीमा अधिनियम का अवशिष्ट अनुच्छेद अर्थात् अनुच्छेद

137 लागू होगा। इस प्रकार, उनका तर्क है कि चूँकि अपीलकर्ता को प्रोबेट के अस्तित्व के बारे में कम से कम 07.02.1962 (प्रदर्श - 'एफ') से पता था, इसलिए 17 साल बाद और 1975 के स्वत्व वाद संख्या 69 के दायर होने के चार साल बाद दायर किया गया एवं आवेदन समय सीमा द्वारा वर्जित था। विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि नीचे दी गई विद्वान अदालत ने प्रोबेट की जानकारी के प्रश्न पर एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि वादी को 07.02.1962 के बाद से प्रोबेट की जानकारी थी, इस प्रकार, सीमा के प्रश्न पर कानून में एक गलत दृष्टिकोण लिया गया है जिसमें कहा गया है कि प्रोबेट को रद्द करने की मांग करने वाले आवेदन के लिए कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है। इस आधार पर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने अपील को खारिज करने का अनुरोध किया है।

विमर्श

17. अपीलकर्ताओं और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों के अवलोकन के बाद, यह न्यायालय पाता है कि आक्षेपित निर्णय को चुनौती देने का पहला आधार यह है कि रौनक सिंह के नाम पर कोई उद्धरण जारी नहीं किया गया था, जबकि उक्त रौनक सिंह को संपत्ति में हित प्राप्त था।

18. विवादित फैसले और अभिलेखों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वादी ने अपने मामले के समर्थन में दो गवाहों को पेश किया था। राम सकल सिंह (अ.सा.-1) ने खुद को लगभग 85 वर्ष का बताया था। उनके पास इस मामले में कोई गवाह नहीं था। रौनक सिंह के बेटे राम सेवक सिंह (अ.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा था कि सोहितचंद सिंह ने अपने पिता को जांच मामले में पक्षकार नहीं बनाया था। उन्होंने कहा था कि प्रोबेट मामले में उनके पिता को कोई नोटिस या नोटिस जारी नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा था कि उन्हें नहीं पता कि सोहितचंद सिंह ने अपने पिता को प्रोबेट मामले में पक्षकार क्यों नहीं बनाया। अपने मुख्य परीक्षण के आगे के पैराग्राफ में वे कहते हैं कि

जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वे 7 साल के थे। अपनी प्रति परीक्षण में, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जांच मामले के रिकॉर्ड का निरीक्षण नहीं कराया था। इस संबंध में, विद्वान जिला न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद यह माना कि प्रोबेट मामला वर्ष 1916 में दायर किया गया था और वर्ष 1928 में प्रोबेट किया गया था, इसलिए अ.सा.-2 लगभग दो वर्ष का था जब प्रोबेट मामला दायर किया गया था और प्रोबेट प्रदान किए जाने के समय वह लगभग चार वर्ष का था, इसलिए, वह वसीयत या प्रोबेट मामले के बारे में बोलने के लिए सक्षम नहीं था। विद्वान जिला न्यायाधीश ने आगे ध्यान दिया है कि अ.सा.2 ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने प्रोबेट मामले के अभिलेखों का कोई निरीक्षण नहीं किया था। इसलिए विद्वान जिला न्यायाधीश का यह कहना बिल्कुल सही है कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति के रूप में वादी को प्रोबेट मामले के रिकॉर्ड को पढ़ना चाहिए था और केवल यह कहकर खुद को संतुष्ट नहीं करना चाहिए था कि प्रोबेट धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था। यह न्यायालय नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाता है।

19. अपीलार्थी की ओर से लिया गया दूसरा आधार यह है कि वसीयत एक जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज है क्योंकि रामरूप सिंह एक अनपढ़ व्यक्ति नहीं थे और वह एक कमजोर बुद्धि वाले व्यक्ति थे जो वसीयत को निष्पादित नहीं कर सकते थे। इस बिंदु पर इस अदालत ने पाया कि अ.सा.-1 ने वादी के मामले का यह कहते हुए समर्थन किया है कि रामरूप सिंह मूर्ख होने की हद तक एक साधारण व्यक्ति थे और वह

वह चीजों को समझने और अपने मामलों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं थे। उन्होंने आगे कहा है कि रामरूप सिंह ने सोहीतचंद सिंह के पक्ष में कोई दस्तावेज या कोई वसीयत नहीं बनाई थी। हालाँकि, इस गवाह ने अपनी प्रति परीक्षण में कहा है कि उसे नहीं पता था कि रामरूप सिंह या हरिचरण की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। उन्होंने आगे

कहा है कि उन्हें सोहीतचंद सिंह और रौनक सिंह के परिवार से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें सुझाव दिया गया था कि रामरूप और उनके भाई अलग-अलग थे, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। विद्वान जिला न्यायाधीश ने साक्ष्य का अवलोकन किया है और ध्यान दिया है कि वसीयत एक पंजीकृत दस्तावेज है, इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के चित्रण (ई) के साथ पठित साक्ष्य अधिनियम की धारा 85 के तहत अधिनियम की वैधता का अनुमान होगा। जिला न्यायाधीश ने सर्वेक्षण में दोनों भाइयों के नाम पर कुछ भूमि की संयुक्त अभिलेखन के बिंदु पर प्रस्तुतिकरण पर विचार किया है। फैसले के पैराग्राफ '10' में अदालत ने यह विचार रखा है कि रामरूप सिंह की मृत्यु की सटीक तारीख और सर्वेक्षण अभियान शुरू होने की तारीख के अभाव में वादी के पिता रौनक सिंह और सोहीतचंद सिंह के हिस्से की समानता के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, जिनके पक्ष में वसीयत का निष्पादन किया गया। अदालत ने कहा है कि भले ही सर्वेक्षण के समय वसीयत मौजूद थी, लेकिन सर्वेक्षण अधिकारियों के समक्ष इसे पेश न करने से रामरूप सिंह द्वारा निष्पादित किए जाने की तारीख पर इसके अस्तित्व के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, हो सकता है, वसीयत को सर्वेक्षण अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था क्योंकि इसकी वर्ष 1928 से पहले जांच नहीं की गई थी।

20. मैंने नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय के निष्कर्षों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और मेरी राय है कि इस बिंदु पर विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा प्रदान किए गए कारण और तर्क पूरी तरह से तार्किक हैं और रिकॉर्ड पर साक्ष्य से प्रवाहित होते हैं, इसलिए इस न्यायालय द्वारा कोई अलग दृष्टिकोण नहीं लिया जा सकता है।

21. नतीजतन, इस न्यायालय को कोई कारण नहीं मिलता है कि विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करें।

22. यह अपील विफल हो जाती है और तदनुसार बर्खास्त किया जाता है

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

अरविंद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।